[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART –II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

INCOME-TAX

Notification

New Delhi, the 31st January 2013.

S.O. 808 (E) .— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 13B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 17C, the following shall be inserted, namely:-

"17CA. Functions of electoral trusts.

· !

- (1) The functions of an electoral trust referred to in section 13B shall be as provided in this rule.
- (2) The electoral trust may receive voluntary contributions from
 - a) an individual who is a citizen of India;
 - b) a company which is registered in India; and
 - c) a firm or Hindu undivided family or an Association of persons or a body of individuals, resident in India.
- (3) A receipt indicating the following shall be issued by the trust immediately on receipt of any contribution indicating the following:
 - a) name and address of the contributor;
 - b) Permanent account number of the contributor or passport number in the case of a citizen who is not a resident;
 - c) amount and mode of contribution including name and branch of the Bank and date of receipt of such contribution;
 - d) name of the electoral trust;
 - e) Permanent account number of the electoral trust;
 - f) date and number of approval by the prescribed authority; and
 - g) Name and designation of the person issuing the receipt.
- (4) The electoral trust shall not accept contributions
 - a) from an individual who is not a citizen of India or from any foreign entity whether incorporated or not; and
 - b) from any other electoral trust which has been registered as a company under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and approved as an electoral trust under the Electoral Trusts Scheme, 2013.

- (5) The electoral trust shall accept contributions only by way of an account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft or by electronic transfer to its bank account and shall not accept any contribution in cash.
- (6) The electoral trust shall not accept any contribution without the permanent account number of the contributor, who is a resident and the passport number in the case of a citizen of India, who is not a resident.
- (7) A political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) shall be an eligible political party and an electoral trust shall distribute funds only to the eligible political parties.
- (8) (i) The electoral trust may, for the purposes of managing its affairs, spend upto five per cent. of the total contributions received in a year subject to an aggregate limit of rupees five hundred thousand in the first year of incorporation and rupees three hundred thousand in subsequent years;
- (ii) the total contributions received in any financial year alongwith the surplus from any earlier financial year, if any, as reduced by the amount spent on managing its affairs, shall be the distributable contributions for the financial year;
- (iii) an electoral trust shall be required to distribute the distributable contributions received in a financial year, referred to in item (ii), to the eligible political parties before the 31st day of March of the said financial year, subject to the condition that at least ninety five per cent. of the total contributions received during the financial year along with the surplus brought forward from earlier financial year, if any, are distributed.

- (9) The trust shall obtain a receipt from the eligible political party indicating the name of the political party, its permanent account number, registration number, amount of fund received from the trust, date of the receipt and name and designation of person signing such receipt.
- (10) The electoral trust shall not utilize any contributions for the direct or indirect benefit of the members or contributors, or for any of the following persons, namely:
 - a) the members (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors) of the electoral trust;
 - b) any relative of such Members;
 - c) where such member or contributor is a Hindu undivided family, a member of that Hindu undivided family;
 - d) any person who has made a contribution to the trust;
 - e) any person referred in sub-section (3) of section 13 of the Act; and
 - f) any concern in which any of the persons referred to in clauses (a), (b),
 - (c), (d) and (e) has a substantial interest.
- (11) (i) An electoral trust shall keep and maintain such books of account and other documents in respect of its receipts, distributions and expenditure as may enable the computation of its total income in accordance with the provisions of the Act;
- (ii) The electoral trust shall also maintain a list of persons from whom contributions have been received and to whom the same have been distributed, containing the name, address and permanent account number of each such person alongwith the details of the amount and mode of its payment including the name and branch of the bank.

- (12) Every electoral trust shall get its accounts audited by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 and furnish the audit report in Form No. 10BC alongwith particulars forming part of its Annexure, to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the electoral trust, on or before the due date specified for furnishing the return of income by a company under section 139.
- (13) An electoral trust shall maintain a regular record of proceedings of all meetings and decisions taken therein.
- (14) Every electoral trust shall furnish a certified copy of list of contributors and a list of political parties, to whom sums were distributed in the manner prescribed in subrule (8), to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, every year along with the audit report as stipulated under sub-rule (12).
- (15) Any change in the shareholders, subsequent to the approval granted under the Electoral Trusts Scheme, 2013 shall be intimated to the Board within thirty days of such change."

3. In Appendix II, after Form No. 10 BB, the following Form and its annexure shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 10BC

[See rule 17CA]

Audit report under (sub-rule (12) of rule 17CA) of the Income-tax Rules, 1962, in the case of an electoral trust

* I/We have examined the Balance Sheet of	[name or
the electoral thisty as at	and the Income and
Expenditure Account for the year ended on that date and certify to Income and Expenditure Account are in agreement with the books said electoral Trust.	that the Balance Sheet and the s of account maintained by the
* I/We have obtained all the information and explanations whe knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.	nich to the best of * my/our
In * my/our opinion, proper books of account have been kept by the of the above named electoral trust visited by * me/us so far examination of the books, and proper documents adequate for the received from branches not visited by * me/us, subject to the comme	er as appears from* my/our
In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and at to * me/us, the said accounts give a true and fair view— (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs trust as at	of the above named electoral
accounting year ending on that date.	t the surplus of deficit for its
The prescribed particulars are annexed hereto.	
Place	
Date	<i>(Signed)</i> Accountant † Name
	Membership No. Address
Notes: *Strike out whichever is not applicable	

- 1. *Strike out whichever is not applicable.
- 2. †This report has to be given by-
- (i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of the companies registered in that State.
- 3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

ANNEXURE TO FORM NO. 10BC

I. Details of contributions received and distributed:-

- 1) Total amount of contributions received in the previous year.
- 2) Total amount of contributions distributed to eligible political parties.
- 3) Amount of contributions utilised for administrative or management functions.
- 4) Surplus brought forward.
- 5) Distributable Contributions for the Financial Year.
- 6) Whether the contributions received in the previous year have been distributed to eligible political parties?

Name	of	the	Amount	Date	Mode
Political	Party	with	distributed		
permane	nt acc	count			
number					
		1			

- 7) Surplus to be carried forward.
- 8) Whether all contributions have been received by account payee cheque or demand draft? If no; the details thereof.

Name of the person	Permanent account number	Amount of contribution	Date	Mode

- 9) Whether receipts in respect of all distributions made to political parties have been obtained?
- 10) Whether the list of all contributors has been maintained?
- 11) Whether the list of all political parties, to whom the amount distributed, has been maintained?
- II. Application or use of income or property for the benefit of persons referred to in sub-rule (10) of rule 17CA:-
- Details of any transaction in excess of Rs. 20,000 with a person referred to in sub-rule (10) of rule 17CA (hereinafter referred to in this Annexure as "interested person").
- 2. Whether any payment was made to any interested person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, details thereof.
- 3. Whether any part of the contributions received by the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any interested person?
 - If so, details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any.
- 4. Whether any income or property of the electoral trust was diverted during the previous year in favour of any interested person? If so, details thereof together with the amount of income or value of property so diverted.

III. Information pertaining to expenditure incurred by the electoral trust towards administration or management of its affairs:-

- 1. Whether the administrative or management expenses pertaining to the electoral trust are in accordance with sub-rule (8) of rule 17CA?
- 2. If yes, whether the required details are adequately maintained?
- 3. If no, what is the percentage of expenditure incurred by the electoral trust vis-a-vis the total contributions received?

Place:	Signature of the Accountant:
Date:	Accountant Membership No.

[Notification No. $\partial \theta / 2013$ (F. No. 142/20/2012 -TPL)]

PRaman Chopra)
Director (TPL-II)

[Principal rules were published vide Notification No. SO 969(E), dated the 26th March 1962 and last amended by Income-Tax (15th Amendment) Rules, 2012 vide Notification No. SO 2805(E) dated 29.11.2012]

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 जनवरी, 2013

का.आ. 368 (अ)-- केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 13ख के खंड (ख) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- त (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (... संशोधन) नियम, 2013 है ।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17गक, निर्वाचन न्यासों के कृत्य

- (1) धारा 13ख में निर्दिष्ट किसी निर्वाचन न्यास के कृत्य इस नियम में उपबंधित अनुसार होंगे !
- (2) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा -
- क) किसी व्यष्टि से जो भारत का नागरिक है ;
- ख) किसी कंपनी से जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है ; और
- ग) भारत में निवासी किसी फर्म या अविभक्त हिन्दू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय से।
- (3) न्यास द्वारा अभिदाय प्राप्त करने पर तुरंत निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए एक पावती जारी की जाएगी :-
- क) अभिदायकर्ता का नाम और पता ;
- ख) अभिदायकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक या किसी नागरिक की दशा में जो निवासी नहीं है का पासपोर्ट संख्यांक ;
- ग) नाम और बैंक की शाखा तथा ऐसे अभिदाय की पावती की तारीख सहित अभिदाय की रकम और ढंग;
- घ) निर्वाचन न्यास का नाम;

- ड) निर्वाचन न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक ;
- च) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख और संख्या ; और
- छ) पावती जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ।
- (4) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा -
- क) किसी व्यष्टि से जो भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी निकाय से चाहे निगमित हो या नहीं ; और
- ख) किसी अन्य निर्वाचन न्यास से जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और जिसे निर्वाचन न्यास रकीम, 2013 के अधीन एक निर्वाचन न्यास के रूप में अनुमोदित किया गया है।
- (5) निर्वाचन न्यास केवल किसी बैंक में खाता देय चेक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या उसके बैंक खाते में इलैक्ट्रानिकी अंतरण के माध्यम से अभिदाय स्वीकार करेगा और रोकड़ में किसी अभिदाय को स्वीकार नहीं करेगा ।
- (6) निर्वाचन न्यास, अभिदायकर्ता जो नागरिक है के स्थायी खाता संख्यांक और भारत के नागरिक की दशा में जो निवासी नहीं है के पासपोर्ट संख्यांक के बिना कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा।
- (7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रिजर्ट्रीकृत कोई राजनैतिक दल पात्र राजनैतिक दल होगा और कोई निर्वाचन न्यास केवल पात्र राजनैतिक दलों को ही निधियों का वितरण करेगा।
- (8) (i) निर्वाचन न्यास अपने कार्यों का प्रबंधन करने के प्रयोजनों के लिए निगमन के पहले वर्ष में पांच लाख रुपए और पश्चातवर्ती वर्षों में तीन लाख रुपए की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए किसी वर्ष में प्राप्त कुल अभिदायों के पांच प्रतिशत तक खर्च कर सकेगा;
- (ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से अधिभार के साथ, यदि कोई हो, किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय जो अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए खर्च की गई रकम से कम करके वित्तीय वर्ष के लिए वितरणीय अभिदाय होगा ;
- (iii) किसी निर्वाचन न्यास से मद के मिर्दिष्ट किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त वितरणीय अभिदायों को वितरित करने की किसी पात्र राजनैतिक दल को उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पहले इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से अग्रणीत अधिभार, यदि कोई हो, के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अभिदायों के कम से कम पचानवे प्रतिशत को वितरित करने की अपेक्षा होगी।
- (9) न्यास पात्र राजनैतिक दलों से राजनैतिक दल का नाम, उसका रथायी लेखा संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, न्यास से प्राप्त निधि की रकम, पावती की तारीख और पावती पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम इंगित करते हुए पावती अभिप्राप्त करेगा।
- (10) निर्वाचन न्यास सदस्यों या अभिदायकर्ताओं या निम्नलिखित में से किन्हीं व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए किन्हीं अभिदायों का उपयोजन नहीं करेगा, अर्थात् :-
- क) निर्वाचन न्यास के सदस्य (इसके अंतर्गत कार्यकारी समिति, निदेशक बोर्ड की शासी समिति के सदस्य हैं) ;

- ख) ऐसे सदस्यों का कोई नातेदार :
- ग) ऐसे सदस्य या अभिदायकर्ता के हिन्दू अविभक्त कुटुंब होने की दशा में उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य ;
- घ) कोई व्यक्ति जिसने उस न्यास को अभिदाय किया है ;
- ड) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ; और
- च) कोई समुत्थान जिसमें खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सारवान हित है।
- (11) न(i) निर्वाचन न्यास अपनी पावतियों, वितरणों और व्ययों के संबंध में ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ हो सकें ;
- (ii) निर्वाचन न्यास ऐसे व्यक्तियों की नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रकम और संदाय के ढंग सहित बैंक के नाम और शाखा सहित सूची भी रखेगा जिनसे अभिदाय प्राप्त किया गया है और जिन्हें अभिदाय का वितरण किया गया है।
- (12) प्रत्येक निर्वाचन न्यास धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उसके उपाबंध का भाग बनने वाली विशिष्टियों के साथ प्ररूप सं. 10खग में, यथास्थिति, निर्वाचन न्यास के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त वा आयकर निदेशक को धारा 139 के अधीन किसी कंपनी के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख से पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- (13) प्रत्येक निर्वाचन न्यास उसकी बैठकों की कार्यवाहियों और उनमें किए गए विनिश्चयों का नियमित अभिलेख रखेगा ।
- (14) प्रत्येक निर्वाचन न्यास, यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रत्येक वर्ष उपनियम (12) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अभिदायों की सूची और राजनैतिक दलों की सूची जिन्हें उपनियम (8) में विहित रीति में राशियां वितरित की गई हैं, की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (15) निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन प्रदत्त अनुमोदन के पश्चात् शेयस्धारकों में किसी परिवर्तन से बोर्ड को ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर संसूचित किया जाएगा ।
- 3. प्ररूप सं. 10खख के पश्चात् परिशिष्ट 2 में निम्नलिखित प्ररूप और उसका उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"प्ररूप सं. 10खग

[नियम 17गक देखिए]

आयकर नियम, 1962 के नियम 17गक के उपनियम (12) के अधीन किसी निर्वाचन न्यास की दशा में लेखा परीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने	 	*****		निर्वाचन	न्या	स का	नाम] के	तुलनप	त्र व	กิ
	 और उस	तारीख	को	समाप्त	होने व	वाले व	र्ष के	लिए	आय औ	र व्य	य

लेखा की जांच कर ली है तथा प्रमाणित करते हैं तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा उक्त निर्वाचन न्यास द्वारा रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है।

*मैंने/हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिया है जो *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

*मेरी/हमारी राय में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास जिसका *मैंने/हमने भ्रमण किया है के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि *मेरी/हमारी लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है और लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए शाखाओं से जिनका * मैंने/हमने भ्रमण नहीं किया है से पर्याप्त उचित दस्तावेजों अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी नीचे दी गई टिप्पणियों की शर्त के अधीन है :

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी /हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखे सही और न्यायसंगत दृष्टिकोण दर्शाते हैं -

- (i) तुलनपत्र की दशा में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास के कार्य जो...... पर दिए गए है, और
- (ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिभार या घाटे के आय और व्यय लेखे की दशा में ।

विहित विशिष्टियां इससं उपाबद्ध हैं।	
स्थान	
तारीख	(ह/-)
	लेखाकार का नाम

सदस्य सं./पता

टिप्पण :

- 1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
- 2. + ये रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है।
- (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ; या
- (ii) किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के कारण उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लिए किसी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र है।
- 3. इस रिपोर्ट में जहां किसी विषय का उत्तर नकारात्मक दिया जाना है या किसी शर्त के साथ दिया जाना है रिपोर्ट में उसके कारणों को अधिकथित किया जाएगा ।

प्ररूप सं. 10खग का उपाबंध

- I. प्राप्त किए गए और वितरित किए गए अभिदायों के ब्यौरे
- 1) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त किए गए अभिदायों की कुल रकम
- 2) पात्र राजनैतिक दलों को वितरित किए गए अभिदायों की कुल रकम
- 3) प्रशासनिक या प्रबंधकीय कृत्यो के उपयोग किए गए अभिदायों की रकम
- 4) अग्रणीत अधिशेष
- 5) वित्तीय वर्ष के लिए वितरणीय अभिदाय
- 6) क्या पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त अभिदायों का पात्र राजनैतिक दलों में वितरण कर दिया गया है।

स्थायी लेखा सं. के वित साथ राजनैतिक दल का नाम	तरित की गई रकम	तारीख	ढंग

- 7) अग्रणीत अधिशेष
- 8) क्या सारे अभिदाय लेखा देय चेक या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं ? यदि नहीं; तो जनके ब्योरे ।

व्यक्ति का नाम	स्थायी लेखा सं.	वितरित की ग	ई तारीख	ढंग
		रकम		

- 9) क्या राजनैतिक दलों को किए गए सभी वितरणों की पावतियां प्राप्त कर ली गई हैं ?
- 10) क्या सभी अभिदायों की सूची रखी गई है ?
- 11) क्या सभी राजनैतिक दलों की सूची जिन्हें रकम वितरित की है, रखी गई है ?
- II. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या संपत्ति के उपयोग के लिए आवेदन :-
- 1. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् "हितबद्ध व्यक्ति" कहा गया है) के साथ बीस हजार रुपए से अधिक के संव्यवहार के ब्यौरे ।
- 2. क्या किसी हितबद्ध व्यक्ति को वेतन, भत्ता या अन्यथा के माध्यम से पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संदाय किया गया है ? यदि हां, तो उसके ब्यौरे ।

3. क्या न्यास द्वारा प्राप्त किए गए अभिदाय के किसी भाग को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति को दिया गया या दिया जाना जारी रखा गया ?

यदि हां, तो रकम, प्रभारित ब्याज की दर और प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई है, के ब्यौरे ।

- 4. क्या निर्वाचन न्यास की कोई आय या संपत्ति को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित किया गया ? यदि हां, तो आय की रकम या परिवर्तित संपत्ति के मूल्य के ब्यौरे के साथ उसका ब्यौरा ।
- III. निर्वाचन न्यास द्वारा उसके प्रशासन या कार्यों के प्रबंधन के लिए उपगत व्यय से संबंधित सूचना :-
- 1. क्या निर्वाचन न्यास के प्रशासनिक या प्रबंधन व्यय नियम 17गक के उपनियम (8) के अनुसार हैं ?
- 2. यदि हां, तो क्या अपेक्षित ब्यौरे पर्याप्त रूप से रखे गए हैं ?
- 3. यदि नहीं, तो निर्वाचन न्यास द्वारा कुल प्राप्त अभिदायों की तुलना में उपगत व्यय की क्या प्रतिशतता है ?

स्थान		
तारीख	लेखाकार	के
हस्ताक्षर		

[अधिसूचना.सं.....*D* 2013, फा.सं. 142/20/2012-टीपीएल]

्रे नो प्रा (रमन चोपड़ा)

निदेशक (टीपीएल-2)

लेखाकार की सदस्यता सं.

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन आय-कर (अ.स.संशोधन) नियम, 2012, अधिसूचना सं. का.आ.2805(अ), विशेष २९-11:2812द्वारा किया गया ।

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

[Central Board of Direct Taxes]

INCOME-TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2013

- S.O. <u>209</u> (E). In exercise of the powers conferred by clause (22AAA) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following scheme for approval of electoral trusts, namely:-
- 1. Short title, commencement and application.- (1) This Scheme may be called the Electoral Trusts Scheme, 2013.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) The scheme shall apply for the approval of any electoral trust under clause (22AAA) of section 2 of the Act.
- 2. Objectives of the Scheme.— To lay down a procedure for grant of approval to an electoral trust which will receive voluntary contributions and distribute the same to the political parties.

- 3. Definitions.— In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (b)"Rules" means the Income-tax Rules, 1962;
 - (c) "Scheme" means the Electoral Trusts Scheme, 2012; and
 - (d) the words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- **4.** Eligibility.— A company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) satisfying all of the following conditions shall be eligible to make an application for approval as an electoral trust, namely:
 - a) the company is registered on or after the 1st day of April, 2012 for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - b) the name of the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall include the phrase "electoral trust";
 - c) the sole object of the electoral trust is to distribute the contributions received by it to the political party, registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951); and
 - d) the electoral trust shall have a permanent account number.
- 5. Procedure for approval.— (1) The procedure for approval of an electoral trust shall be as follows, namely:
 - a) the application for approval under clause (22AAA) of section 2 of the Act shall be made in duplicate in FORM A, on or before the 31st day of July of the previous year relevant to the assessment year for which the approval is sought, to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the applicant;

- b) the applicant shall also send a copy of the application to the Member (Incometax), Central Board of Direct Taxes accompanied by the acknowledgement receipt evidencing submission of application form in duplicate to the Commissioner of Incometax or Director of Incometax, as the case may be, having jurisdiction over the case;
- c) if any defect is noticed in FORM A or any document referred to therein is not attached with it, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall intimate the defect to the applicant within thirty days from the date of receipt of the application form in his office;
- d) the applicant shall remove the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, may be extended. However, the total period for removal of defect shall not exceed thirty days;
- e) if the applicant fails to remove the defect within the period so allowed, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall send his recommendation to the Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes for treating the application as invalid;
- f) the Central Board of Direct Taxes, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid;
- g) if the application form is complete in all respects, the Commissioner of Incometax or the Director of Incometax, as the case may be, may make such inquiry as he may consider necessary regarding the genuineness of the electoral trust and send a report to the Member (Incometax), Central Board of Direct Taxes for grant of approval or rejection of the application;
- h) the Central Board of Direct Taxes may, on receipt of the report referred to in subclause (g), call for such documents or information from the applicant, any authority or other person as it may consider necessary and get any further inquiry conducted in this regard;

- i) the Central Board of Direct Taxes shall, after considering all the information in its possession and the result of enquiry conducted, if any, grant approval to the electoral trust or reject the application;
- j) the Central Board of Direct Taxes may also impose any conditions, subject to which the approval shall be valid;
- k) no order treating the application as invalid or rejecting the application or withdrawing the approval shall be passed by the Central Board of Direct Taxes without giving the applicant an opportunity of being heard and without recording the reasons for the same in writing;
- the order of approval or rejection shall be passed by the Central Board of Direct Taxes within six months from the end of the month in which the application form was received from the applicant in the office of Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes;
- m) the period of limitation of six months referred to in sub-clause (l) shall exclude the period beginning from the date of the intimation of the defect under clause (c) by the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, to the date the applicant removes such defect;
- n) a copy of the order invalidating or rejecting the application or withdrawing the approval shall be sent to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be;
- o) the approval shall be valid for the assessment year relevant to the financial year in which such application has been made and for a further period, not exceeding three assessment years, as may be specified in such approval.
- (2) The application in FORM A shall be accompanied by the following documents, namely:-

- (a) an attested copy of the certificate evidencing the registration of the company for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (b) a certified copy of the memorandum and articles of association;
- (c) complete name, permanent account number and address of the electoral trust and its members (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors);
- (d) initial share capital of the company and its source;
- (e) details of beneficiaries, if available;
- (f) an undertaking in the form of an affidavit stating that the receipts shall be distributed only to the political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); and
- (g) copy of accounts of the applicant for the last one, two or three years, as may be applicable.
- (3) Any change in the shareholders, subsequent to the approval granted under the Scheme, shall be intimated to the Board within thirty days of the change.
- **6. Criteria for approval**. An electoral trust shall be considered for approval if it fulfills all of the following conditions, namely:
 - (a) the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), which satisfies the conditions referred to in paragraph 4 of this Scheme:
 - (b) the object of the electoral trust shall not be to earn any profit or pass any direct or indirect benefit to its members or contributors, or to any person referred to in sub-section (3) of section 13 of the Act, or any person referred to in sub-rule 10 of rule 17CA of the Rules;
 - (c) it has made adequate arrangement for recording the receipts from the contributors in accordance with rule 17CA; and

- (d) the stipulations contained in sub-rules (2) to (15) of rule 17CA of the Rules for the functioning of an electoral trust are specifically included in the articles of association of the company registered for the purposes of section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
- 7. Renewal of approval.-(1) The approval shall be valid for the assessment year relevant to the financial year in which such application has been made and for a further period, not exceeding three assessment years, as may be specified in the approval.
- (2) The electoral trust may apply for renewal of approval at any time during the financial year immediately preceding the last assessment year, for which the approval has originally been granted, and such renewal of approval may be granted after examining the application in the same manner as laid out for approval in this Scheme.
- 8. Withdrawal of approval.- (1) The Central Board of Direct Taxes may withdraw the approval granted under this Scheme if it is satisfied that the electoral trust has ceased its activities or its activities are not genuine or are not carried out in accordance with all or any of the conditions laid down under this Scheme or the provisions of rule 17CA of the Rules, or any other condition imposed in the approval granted.
- (2) In order to ascertain whether an electoral trust, after its approval, is functioning in accordance with the provisions of rule 17CA of the Rules, the Central Board of Direct Taxes may call for information or documents as it may deem fit from the electoral trust or may get an enquiry conducted in this regard by an income-tax authority or any other agency.

- (3) If the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax is satisfied that an approved electoral trust is not fulfilling any of the conditions specified under this Scheme or the conditions subject to which approval was granted to it or does not function in accordance with Rule 17CA, he may, after making appropriate enquiries, furnish a report to the Central Board of Direct Taxes in this regard and the Board may take such action on the report as it may deem fit.
- (4) An order for withdrawal of the approval shall be passed after giving the electoral trust an opportunity of being heard, and shall record the reasons in writing for the withdrawal of approval.
- (5) A copy of the order withdrawing the approval shall be sent to the applicant, the Assessing Officer and the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be.

FORM A

Application for approval of an electoral trust under the

Electoral Trusts Scheme, 2013

Τ	Го		
N	Member (Income-tax)	
C	Central Board of Dire	ect Taxes	
N	New Delhi		
I,	,	(Name)	
be he	peing a company reg	on behalf of	
TI	he following particu	llars are furnished herewith	
1)) Name and Addres	s of the applicant in full [In BLOCK letters] :	
2)) Permanent Accou	nt Number :	
3)) Name and Addres	s of the electoral trust in full [In BLOCK letters] :	
4)) Date of Registratic the Companies Ac	on as a Company for the purposes of Section 25 of : ct, 1956	
5)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	es) and Permanent Account Number of members : rs of its Executive Committee, Governing Committee ors)	
5)	I also enclose the fo	ollowing documents:	
	•	n attested copy of the certificate evidencing register company for the purposes of section 25 of the Compan	
	b) ce	ertified copy of the articles of association and memora	ındum;

- c) complete name, address and permanent account number of the shareholders;
- d) initial share capital of the company and its source;
- e) details of beneficiaries, if available;
- f) details of contributors, if any;
- g) an undertaking in the form of an affidavit stating that the receipts shall be distributed only to political parties registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951; and
- h) copies of the accounts of the applicant for the last one/two/three years as applicable.

Verification

- a) The particulars given above and in the enclosed documents are true and correct.
- b) The requirements contained in the rule 17CA of the Rules relating to the functioning of Electoral Trusts have been specifically included in the Articles of Association of the Company and shall be complied with.
- c) I shall comply with all the provisions of the Scheme, the concerned rules and all the prescribed conditions subject to which approval, if any, shall be granted and have understood that in case of any failure to do so, the approval is liable to be withdrawn.
- d) I undertake to communicate forthwith any alteration in the object and terms of the electoral trust or the shareholders or in any clause of the articles of association within thirty days of such change.

Date :	Signature
Designation	
Address	

[Notification No. 09/2013 (F. No. 142/20/2012 -TPL)]

Director (TPL-II)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्य विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 जनवरी, 2013

का.आ. <u>309</u> (अ)- केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (22ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचक न्यासों के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : --

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- (3) स्कीम, अधिनियम की धारा 2 के खंड (22ककक) के अधीन किसी निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के लिए लागू होगी ।
- 2. स्कीम के उद्देश्य- कोई ऐसा निर्वाचक न्यास, जो स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त करेगा और उसी को राजनीतिक दलों में वितरित करेगा, के अनुमोदन की मंजूरी के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ।
- 3. परिभाषाएं- इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है:
 - (ग) ''स्कीम'' से निर्वाचक न्यास स्कीम, 2012 अभिप्रेत है ; और
 - (घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

- 4. पात्रता- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए रिजस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जो निम्नलिखित सभी शर्तों का समाधान कर रही है, किसी निर्वाचक न्यास के रूप में अनुमोदन के लिए कोई आवेदन करने के लिए पात्र होगी, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है ;
 - (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत कंपनी के नाम में वाक्यांश ''निर्वाचक न्यास'' सम्मिलित होगा ;
 - (ग) निर्वाचक न्यास का एकमात्र उद्देश्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल को इसके द्वारा प्राप्त अभिदाय वितरित करना है ; और
 - (घ) निर्वाचक न्यास के पास स्थायी लेखा संख्यांक होगा।
- 5. अनुमोदन के लिए प्रक्रिया- (1) निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :--
 - (क) अधिनियम की धारा 2 के खंड (22ककक) के अधीन अनुमोदन के लिए कोई आवेदन प्ररूप क में दो प्रतियों में उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, से पूर्व सुसंगत वर्ष की 31 जुलाई को या उसके पूर्व आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, आयकर आयुक्त या निदेशक, आय-कर को किया जाएगा ;
 - (ख) आवेदक, मामले पर अधिकारिता रखने वाले, यथारिथिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर को दो प्रतियों में आवेदन प्ररूप की प्रस्तुती के साक्ष्य देने वाली अभिरवीकृति प्राप्ति के साथ सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन की एक प्रति भेजेगा ;
 - (ग) यदि प्ररूप क में कोई त्रुटि देखी जाती है या उसमें निर्दिष्ट कोई दस्तावेज इसके साथ संलग्न नहीं है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर अपने कार्यालय में आवेदन प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदक को त्रुटि संसूचित करेगा;

- (घ) आवेदक ऐसी संसूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो बढ़ाई जा सके, जिसमें आवेदन इस निमित्त किया गया है, त्रुटि को हटाएगा तथापि त्रुटि के हटाए जाने के लिए कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी;
- (ङ) यदि आवेदक, इस प्रकार अनुज्ञात अविध के भीतर त्रुटि के हटाए जाने में असफल रहता है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर अपनी सिफारिश सदस्य (आय-कर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन अविधिमान्य के रूप में माने जाने के लिए भेजेगा;
- (च) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो वह आवेदन को अविधिमान्य के रूप में माने जाने के लिए एक आदेश पारित कर सकेगा ;
- (छ) यदि आवेदन प्ररूप सभी प्रकार से पूर्ण है तो यथास्थिति, आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर ऐसी जांच कर सकेगा जो निर्वाचक न्यास की वास्तविकता के बारे में आवश्यक समझी जा सके और आवेदन के अनुमोदन की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए सदस्य (आय-कर) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजेगा;
- (ज) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उपखंड (छ) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर आवेदक, किसी प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज या सूचना मांग सकेगा जो वह आवश्यक समझे और इस संबंध में कोई और जांच संचालित करवाएगा;
- (झ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने कब्जे में सभी जानकारी और संचालित जांच के परिणाम, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचक न्यास का अनुमोदन मंजूर करेगा या आवेदन अस्वीकृत कर देगा;
- (ञ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, किन्हीं शर्तों को भी अधिरोपित कर सकेगा जिसके अध्यधीन अनुमोदन विधिमान्य होगा,;
- (ट) अविधिमान्यता के रूप में आवेदन की अरवीकृति करने वाला या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने वाला कोई आदेश, आवेदक को बिना सुने जाने का अवसर दिए बिना और उसे लिखित में कारण लेखबद्ध किए बिना पारित नहीं किया जाएगा;

- (ठ) अनुमोदन या अस्वीकृति का आदेश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उस मास के अंत से, जिसमें आयेदन प्ररूप, सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय में आयेदक से प्राप्त किया गया था, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा;
- (ड) उपखंड (ठ) में निर्दिष्ट छह मास की परिसीमा की अविध में, यथास्थिति आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर द्वारा खंड (ग) के अधीन त्रुटि की संसूचना की तारीख की आरंभ की अविध से उस तारीख तक जिसको आवेदक ऐसी त्रुटि हटाता है, अपवर्जित होगी;
- (ढं) आवेदन की अविधिमान्यता या अस्वीकृति या अनुमोदन के प्रत्याहरण के आदेश की एक प्रति आवेदक, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी और यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक आय-कर को भेजी जाएगी;
- (ण) अनुमोदन उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है तथा और अवधि के लिए, जो तीन निर्धारण वर्ष से अधिक न हों, जिसे ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट किया जा सके, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।
- (2) प्ररूप क में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के रिजस्ट्रीकरण का साक्ष्य देने वाले प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति ;
 - (ख) ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की एक प्रमाणित प्रति ;
 - (ग) निर्वाचक न्यास और इसके सदस्यों का पूरा नाम, स्थायी लेखा संख्यांक और पता (जिसके अंतर्गत इसकी कार्यपालक समिति के सदस्य, शासी समिति या निदेशक बोर्ड भी है);
 - (घ) कंपनी की आरंभिक शेयर पूंजी और इसके स्रोत ;
 - (ड) हिताधिकारियों के ब्यौरे, यदि उपलब्ध हैं ;
 - (च) शपथपत्र के रूप में यह कथन करते हुए कि प्राप्तियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन केवल रिजर्ट्रीकृत राजनीतिक दलों को ही वितरित की जाएंगी, एक वचनबंध ; और
 - (छ) अंतिम एक, दो या तीन वर्ष, के लिए आवेदन के लेखाओं की प्रति, जैसा भी लागू हो ।

- (3) मंजूर किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप, शेयर धारकों में कोई परिवर्तन, परिवर्तन के तीस दिन के भीतर बोर्ड को संसूचित किया जाएगा।
- 6. अनुमोदन के लिए मानदंड- किसी निर्वाचक न्यास पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा यदि यह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--
 - (क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी, जो स्कीम के पैरा 4 में निर्दिष्ट शर्तों का समाधान करती है ;
 - (ख) निर्वाचक न्यास का उद्देश्य किसी लाभ का अर्जन करना नहीं होगा या अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपने सदस्यों, अभिदायकर्ताओं या किसी व्यक्ति या नियमों के नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा नहीं पहुंचाएगा ;
 - (ग) इसने नियम 17गक के अनुसार अभिदायकर्ता से प्राप्तियों को अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं ; और
 - (घ) निर्वाचक न्यास के कार्यों के लिए नियंमों के नियम 17गक के उपनियम (2) से उपनियम (15) में अंतर्विष्ट अनुबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के प्रयोजनों के
 - लिए रजिस्ट्रीकृत कंपनी के संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित है।
- 7. अनुमोदन का नवीकरण- (1) अनुमोदन उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष और तीन निर्धारण वर्ष से अनिधक और अविध के लिए, जो अनुमोदन में विनिर्दिष्ट की जा सके, आवेदन विधिमान्य होगा।
- (2) निर्वाचक न्यास अंतिम निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अनुमोदन मूल रूप से मंजूर किया गया है, से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा और अनुमोदन का ऐसा नवीकरण उसी रीति में आवेदन की परीक्षा करने के बाद मंजूर किया जा सकेगा जो इस स्कीम में अनुमोदन के लिए अधिकथित है।
- 8. अनुमोदन का प्रत्याहरण- (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इस स्कीम के अधीन मंजूर किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्वाचक न्यास ने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं या इसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या उन्हें इस स्कीम या नियमों के नियम 17गक के

उपबंधों के अधीन या मंजूर किए गए अनुमोदन में अधिरोपित किन्हीं अन्य शर्त के अधीन अधिकथित किसी अन्य शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

- (2) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या निर्याचक न्यास, अनुमोदन के पश्चात् नियमों के नियम 17गक के उपबंधों के अनुसार कार्य कर रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जानकारी या दस्तावेज मांग सकेगा जो वह निर्वाचक न्यास से ठीक समझे या इस संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अन्य अधिकरण से जांच संचालित करवा सकेगा!
- (3) यदि आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर का यह समाधान हो जाता है कि कोई अनुमोदित निर्वाचक न्यास इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों या उन शर्तों को, जिसके अधीन अनुमोदन इसे मंजूर किया गया था, पूरा नहीं कर रहा है या नियम 17गक के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वह समुचित जांच करने के पश्चात् इस संबंध केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और बोर्ड रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
- (4) अनुमोदन के प्रत्याहरण लिए कोई आदेश निर्वाचक न्यास के सुने जाने के अवसर आदेश दिए जाने के पश्चात् ही पारित किया जाएगा और अनुमोदन के प्रत्याहरण के लिए कारण लेखबद्ध किया जाएगा।
- (5) अनुमोदन की वापसी के आदेश की एक प्रति आवेदक, निर्धारण अधिकारी और यथास्थिति, आय-कर, आयुक्त या निदेशक, आय-कर को भेजी जाएगी।

प्ररूप क

निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 के अधीन किसी निर्वाचक न्यास के अनुमोदन के लिए आवेदन

सेवा में

सदस्य (आय-कर)	
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	
नई दिल्ली	
मैं,(नाम)	(पदाभिधान) र्क
ओर से जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के र्	लिए एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है
निर्वाचक न्यास स्कीम, 2012 के अधीन किसी निर्वाचक न्यास के रूप में व	कंपनी अधिनियम की उक्त धार
25 के अनुमोदन के लिए तदनुसार आवेदन करता हूं ।	
निम्नलिखित विशिष्टियां इसके साथ प्रस्तुत हैं-	
(1) आवेदक का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	•
(2) स्थायी लेखा संख्यांक	•
(3) निर्वाचक न्यास का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	•
(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी के	रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख
(5) सदस्यों के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक (जिसमें इसके अंत	र्गत कार्यपालक समिति, शासी
समिति या निदेशक बोर्ड के सदस्य भी सम्मिलित हैं)	
6) मैं निम्नलिखित दस्तावेजों को भी संलग्न करता हूं :	
क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए कंपनी	के रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य देने
ाले प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति ;	
ख) संगम ज्ञापन और ज्ञापन की प्रमाणित प्रति ;	
ग) शेयर धारकों के पूरे नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक :	

- (घ) कंपनी की आरंभिक शेयर पूंजी और इसके स्रोत ;
- (ड) हिताधिकारियों के ब्योरे, यदि उपलब्ध हैं :
- (च) अभिदायकर्ताओं के ब्योरे, यदि कोई हों ;
- (छ) शपथ पत्र के रूप में यह कथन करते हुए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल को ही प्राप्तियां वितरित की जाएंगी, एक वचन बंध ; और
- (ज) अंतिम एक/दो/तीन वर्षों के लिए आवेदक की लेखाओं की प्रतियां, जो लागू हों।

सत्यापन

- (क) ऊपर दी गईं विशिष्टियां और संलग्न दस्तावेज सत्य और सही हैं।
- (ख) निर्वाचक न्यासों के कृत्यों से संबंधित नियमों के नियम 17गक में अंतर्विष्ट अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट रूप से कंपनी के संगम ज्ञापन में सम्मिलित की गई हैं और उनका अनुपालन किया जाएगा।
- (ग) मैं, स्कीम, संबद्ध नियमों और विहित शर्तों, जिसके अध्यधीन अनुमोदन मंजूर किया गया है, यदि कोई है, के सभी उपबंधों का पालन करूंगा और समझ लिया है कि ऐसा करने में चूक होने की दशा में अनुमोदन वापस लिए जाने के लिए दायी होगा।
- (घ) मैं, निर्वाचक न्यास या शेयर धारकों या संगम ज्ञापन के किसी खंड के किसी उद्देश्य और निबंधनों में कोई भी परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर संसूचित करने के लिए वचनबंध हूं।

तारीख		हस्ताक्षर
पदाभिधान		
पता		
	[अधिसूचना संख्यांक	09 /2013 (फा०सं० 142/20/2012-टीपीएल)]
		2 1 45.1
		(रमन चोपड़ा)

निदेशक (टीपीएल-II)